Regulation and Safety of Nuclear Facilities

*537. SHRIMATI CHANDRA KALA PANDEY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the existing mechanism/agency to cover the responsibility and accountability for safety and regulation of civilian and defence nuclear facilties and activities in the country to ensure the right to safety and life of the workers from radiation and public at large;

(b) whether the action is in line with the Convention on Nuclear Safety of which India is a signatory; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI VASUNDHRA RAJE): (a) The Atomic Energy Regulatory Board (AERB) carries out regulatory and safety functions envisaged under sections 16,17 and 23 of the Atomic Energy Act, 1962. Section 16 deals with the control of Radioactive substances, Section 17 is related to special provisions to safety and Section 23 pertains to the administration of the Factories Act, 1948.

(b) Yes, Sir.

(c) Does not arise.

चारे की उपलब्धता

*538. **श्री बरजिन्दर सिंह:**

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा:

(क) क्या यह सच है कि देश में पशुधन के विस्तार और विकास में सबसे बड़ी समस्या आवश्यकता के अनुरूप चारे की अनुपलब्धता है,

(ख) यदि नहीं, तो सरकार के आकलन के अनुसार पशुधन की संख्या तथा उपलब्ध चारे की मात्रा कितनी-कितनी है,

(ग) क्या सरकार ने देश में चारे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में कुल भूमि के कितने प्रतिशत भूमि पर चारा उगाया जाता है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) देश में पशुधन विकास की एक मुख्य समस्या पर्याप्त चारा संसाधन की कमी है।

(ख) 1992 की पशुधन संगणना के अनुसार देश में पशुधन संख्या 470.85 मिलियन है। पर्यावरण और वन मंत्रालय के नीति सलाहकार ग्रुप द्वारा वर्ष 1993 में किए गए अनुमान के अनुसार सूखे चारे और हरे चारे की 583.62 और 744.73 मिलियन टन की मांग की तुलना में उसकी उपलब्धता क्रमशः398.68 और 573.50 मिलियन टन थी।

(ग) और (घ) चारा उत्पादन को गति प्रदान करने के लिए पशुपालन और डेयरी विभागे में निम्नलिखित दो योजनाएं हैं:-

(1) केन्द्रीय आहार और चारा विकास संगठन

(2) आहार और चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता।

केन्द्रीय आहार और चारा विकास संगठन के तहत केन्द्रीय और क्षेत्रीय केन्द्र, चारा बीजों का उत्पादन और प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन आयोजित करते हैं। इस कार्यक्रम के तहत चारा मिनिकिट भी वितरित किए जाते हैं। नौवीं योजना में इस योजना के लिए 18 करोड़ रुपये की राशि का आंवटन किया गया।

आहार और चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता नामक योजना एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसके तहत राज्य सरकारों को निम्नलिखित क्रियाकलापों के लपिए सहायता प्रदान की जाती है:-

(1) चारा बीज उत्पान फार्मों का सुद्धढ़ीकरण,

(2) चारा बैंकों की स्थापना,

(3) पंजीकृत उत्पादकों के माध्यम से बीज का उत्पादन,

(4) भूसा और सेल्लोसिस अवशिष्टों का संबर्द्धन,

(5) बायो-मास उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिल्वपाश्चर विकास,

(6) ग्रास रिजर्व सहित चराई भूमि का विका,

(7) चारा फसल के क्षेत्र उत्पादन और मांग का नमूना सर्वेक्षण।

नौवीं योजना में इस योजना के लिए 40 करोड़ रुपये की राशि आंबटित की गई है। कुल खेती की गई भूमि का लगभग 4 प्रतिशत क्षेत्र चारा फसलों के तहत होने का अनुमान है।